

## GST कानून बनाने की राज्यों की शक्ति

### प्रलिस के लिये:

GST, GST परिषद, सर्वोच्च न्यायालय

### मेन्स के लिये:

सहकारी संघवाद और प्रतिसिपर्द्धी संघवाद, जीएसटी की चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र की भलाई के लिये "सहकारी संघवाद" के महत्त्व का समर्थन करते हुए अपने एक नरिणय में कहा कि संघ एवं राज्य वधानसभाओं के पास **माल और सेवा कर (GST)** पर कानून बनाने के लिये "एक समान और अद्वितीय शक्तियाँ" हैं। तथा जीएसटी परिषद की सफिरशैं उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय गुजरात उच्च न्यायालय के उस नरिणय की पुष्टि करते हुए आया जिसमें कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों पर समुद्री माल के लिये **एकीकृत माल और सेवा कर (IGST)** नहीं लगा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि माल आयात के मामले में भुगतान किये गए समुद्री माल पर GST असंवैधानिक है।

### SC का नरिणय:

- GST कानून बनाते समय केंद्र और राज्य "स्वायत्त, स्वतंत्र तथा यहाँ तक कि प्रतिसिपर्द्धी इकाइयाँ" हैं। संघीय इकाइयों के एकीकृत दृष्टिकोण के कारण सहकारी संघवाद को 'कठोर संघवाद' (Marble Cake) की तरह माना जाता है।
- GST परिषद की सफिरशैं** संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक **सहयोगी संवाद का उदाहरण प्रस्तुत** करती हैं। ये सफिरशैं प्रकृति में अनुशासनात्मक होती हैं।
- ये सफिरशैं केवल प्रेरक मूल्य की होती हैं अर्थात् संघ और राज्यों दोनों को GST पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाती है, अतः इन कानूनों को बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधति होगा।
- इस बात पर ज़ोर दिया गया कि संवधान का **अनुच्छेद 246A** (जो राज्यों को GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है) **संघ और राज्यों को "समान इकाइयों"** के रूप में मानता है।
  - यह GST पर कानून बनाने के लिये **केंद्र और राज्यों को एक साथ** शक्ति प्रदान करता है।
  - अनुच्छेद 279A, GST परिषद के गठन में यह बताता है कि **न तो केंद्र और न ही राज्य** वास्तव में दूसरे पर निर्भर हैं।
- माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी अधिनियम)** में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन स्थितियों से निपट करे जहाँ केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव होने पर GST परिषद उन्हें उचित सलाह दे सके।

### सहकारी और प्रतिसिपर्द्धी संघवाद:

- सहकारी संघवाद:**
  - केंद्र और राज्य एक कषैतजि संबंध** साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक जनहति में 'सहयोग' करते हैं।
  - यह राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में **राज्यों की भागीदारी को सक्रम** करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
  - संघ और राज्य** संवैधानिक रूप से संवधान की **अनुसूची- VII** में नरिदष्टि मामलों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिये बाध्य हैं।
- प्रतिसिपर्द्धी संघवाद:**
  - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध ऊर्धवाधर** होते हैं, जबकि सभी राज्य सरकारों के बीच परस्पर संबंध कषैतजि होते हैं।
    - 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में प्रतिसिपर्द्धी संघवाद के इस विचार को बल मिला।
    - एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में राज्यों की नधि, उपलब्ध संसाधन आधार और उनके तुलनात्मक लाभ सभी प्रतिसिपर्द्धी की भावना को बढ़ावा देते हैं। हालाँकि बढ़ते वैश्वीकरण ने राज्यों के बीच मौजूदा असमानताओं और असंतुलन को बढ़ा दिया है।

- प्रतस्पर्द्धात्मक संघवाद में राज्यों को लाभ के लिये आपस में और केंद्र के साथ भी प्रतस्पर्द्धा करने की आवश्यकता होती है।
  - धन और नविश को आकर्षित करने के लिये राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतस्पर्द्धा करते हैं, जो प्रशासनिक दक्षता में सुधार कर विकासोत्तमक गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- प्रतस्पर्द्धा संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं, बल्कि यह कार्यकारणी शक्तियों के नरिणयन परंपरा का हिस्सा है।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST):

- GST एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्द्धन पर लगाया जाता है।
- GST पूरे देश हेतु एक अपरत्यक्ष कर है।
- GST परिषद महत्त्वपूर्ण नरिणय लेने वाली संस्था है जो GST के संबंध में सभी महत्त्वपूर्ण नरिणय लेगी।

### What next?

**FOR BUSINESSES**

- Goods importers get some relief as they are no longer liable to pay GST on ocean freight charges; could seek refunds for past payments

**FOR THE CENTRE AND STATES**

- Finance Ministry believes SC order only

reiterates the spirit in which the GST Council is functioning

- All but one decision of the Council has been reached by consensus so far
- The Council may be summoned soon to discuss SC verdict's implications

**An administrative body created by the Constitution cannot have an overriding right on the legislature**

TARUN BAJAJ, Revenue Secretary

**The Centre had been arbitrarily imposing its decisions on States... We hope the verdict would pave the way for States to protect rights**

K.N. BALAGOPAL, Kerala Finance Minister

## आगे की राह

- नरिणय GST के तहत उन प्रावधानों के परिदृश्य को बदल सकता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- जैसा कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीएसटी परिषद की सफारिशों का केवल प्रेरक मूल्य है, प्रावधानों के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। यह जीएसटी परिषद की सफारिशों के आधार पर ऐसे प्रावधान, जो संविधानिकता को चुनौती देते हैं, न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

[GST Concept-1 \(Hindi\) - Why was GST required? By : Dr. Vikas Divyakirti](#)

## वर्गित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

1. छलिका उतरा हुआ अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधित और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन सा/से जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

व्याख्या:

- जनता को लाभ पहुँचाने के लिये कुछ वस्तुओं को शून्य या 0% जीएसटी दर के तहत रखा जाता है। खाद्य सब्जियों, जड़ और कंद जैसी वस्तुओं पर

कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है; अनाज; मछली ( संसाधति खाद्य पदार्थ; ताज़े फल और सब्जियाँ ( संसाधति खाद्य पदार्थ के अलावा); मांस (संसाधति खाद्य पदार्थ के अलावा और यूनटि कंटेनर में रखा गया); गन्ना गुड़ (गुड़); नारयिल पानी; रेशमकीट कोकून; कच्चा रेशम, रेशम अपशष्टि; ऊन, कार्डेड; गांधी टोपी में प्रयुक्त कपास; खादी यार्न में प्रयुक्त कपास; नारयिल, कॉयूर फाइबर; जूट फाइबर कच्चा या संसाधति लेकनि काता हुआ नहीं; पूजा सामगरी; जीवति जानवर (घोड़ों को छोड़कर); के सभी सामान, बीज की गुणवत्ता; कॉफी बीन्स, भुना हुआ नहीं; असंसाधति हरी चाय की पत्तियाँ; ताज़ा अदरक, ताज़ी हल्दी (संसाधति रूप के अलावा); मानव रक्त और इसके घटक; सभी प्रकार के गर्भनरौधक; जैवकि खाद, ब्रांड नाम के अलावा; कुमकुम, बदी, सधूर, आलता; जलाऊ लकड़ी या ईंधन की लकड़ी; लकड़ी का कोयला; पान के पत्ते; न्यायकि, गैर-न्यायकि स्टाम्प पेपर, अदालती शुल्क टिकट जब सरकारी खजाने या अधिकृत वकिरेताओं द्वारा बेचे जाते हैं; डाक आइटम जैसे लफाफा, पोस्ट कार्ड आदि सरकार द्वारा रुपया नोट रज़िर्व बैंक को बेचे हुए और चेक, मुद्रति पुस्तकें, जसिमें बरेल पुस्तकें, समाचार पत्र, मानचतिर शामिल हैं; मटिटी के बरतन और मटिटी के दीये; चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियाँ को छोड़कर); मैन्युअल रूप से संचालति या पशु संचालति कृषि उपकरण; हाथ के औज़ार, जैसे- फावड़े; हथकरघा; अंतरकिषयान; कान की मशीन ।

- दये गए प्रश्न में संसाधति और डबिबाबंद मछली को छोड़कर सभी उल्लखति वस्तुओं को जीएसटी के तहत छूट में शामिल कया गया है। **अतः वकिल्प c सही है ।**

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/states-power-to-make-gst-laws>

